विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफ़र मार्ग
नई दिल्ली–110 002
वेबसाइट : **www.ugc.ac in**

12वीं योजना अवधि में
स्वशासी महाविद्यालयों के लिए दिशानिर्देश
(2012–2017)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बारहवीं योजना के दिशानिर्देश

स्वशासी महाविद्यालयों की योजना

1. प्रस्तावना

स्वशासी महाविद्यालयों के महत्व को विशिष्ट रूप से अभिव्यक्त करने के साथ ही भारतवर्ष में उच्चतर शिक्षा संबंधी बारहवीं योजना में उसके विशाल रूप के विषय में यूजीसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में स्पष्टतः कहा गया है किः ''स्नातकपूर्व शिक्षा की गुणवत्ता का सर्वाधिक सुरक्षित एवं श्रेष्ठ उपाय, अधिकांश महाविद्यालयों को सह संबंद्वता संरचना से उन्हें अलग करना है। अकादमिक एवं संचलन की स्वतंत्रता से युक्त महाविद्यालय अधिक श्रेष्ठ रूप से सक्रिय हैं तथा उनकी विश्वसनीयता बहुत अधिक है। ऐसे महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से स्वशासी होने की संकल्पना को बढ़ावा मिलता है।'' यह प्रस्तावित किया गया है कि स्वशासी महाविद्यालयों की संख्या को बढ़ाया जाए जिससे स्वायत्तता की संस्कृति का प्रसार हो तथा पात्र महाविद्यालयों में से दस प्रतिशत महाविद्यालयों को बारहवीं योजना अवधि के अंत तक स्वशासी बनाया जा सके।

स्वायत्तता की आवश्यकता

महाविद्यालयों को सहसंबंद्ध करने की प्रणाली मूलतः उस समय रूपांकित की गई थी जबकि किसी महाविद्यालय में उनकी संख्या बहुत कम थी। उस स्थिति में विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों के क्रियान्वयन का प्रभावी रूप से परीवीक्षण करने की स्थिति में होता था, एक परीक्षण निकाय के रूप में रहकर उनकी ओर से डिग्रियाँ प्रदान करता था। यह प्रणाली अब बोझिल हो गई है तथा महाविद्यालयों की निजी एवं विभिन्न आवश्यकताओं पर ध्यान देना किसी भी विश्वविद्यालय के लिए उत्तरोत्तर कठिन होता जा रहा है। महाविद्यालय अपनी पाठ्यचर्याओं को अद्यतन करने अथवा उन्हें स्थानीय रूप से और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए स्वतंत्र नही हैं। विश्वविद्यालय के विनियम एवं उनकी प्रचलित सामान्य प्रणाली जिसके द्वारा सभी महाविद्यालय समान रूप से अभिशासित हैं, बावजूद उनकी विशिष्ठ सशक्त विशिष्टताओं, उनकी दुर्बलताओं एवं अवस्थितियों के ऐसी प्रणाली ने विभिन्न महाविद्यालयों के अकादमिक विकास को दुष्प्रभावित किया है ऐसे महाविद्यालय जिनके पास उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने की क्षमता है परंतु उनके पास उन पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता नहीं है। वर्ष 1964–66 के शिक्षा आयोग ने यह बात उठाई थी, शिक्षकों द्वारा अकादमिक स्वतंत्रता क्रियान्वित करना, यह बात हमारे देश के बौद्धिक वैचारिक वातावरण के विकास के लिए निर्णायक रूप से आवश्यक है। जब तक यह वातावरण विद्यमान नहीं होगा, तब तक हमारी उच्चतर शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता उपलब्ध कर पाना कठिन है।

जैसा कि उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता को संवर्धित करने में छात्र, शिक्षक एवं प्रबंधन सहभागी के रूप में बने होते हैं, वही यह अत्यावश्यक है कि वे इस बड़े उत्तरदायित्व में सहभागिता करें। अतः शिक्षा आयोग (1964–66) ने महाविद्यालय स्वायत्ता की अनुशंसा की जो कि सारांशतः अकादमिक उत्कृष्टता प्रोन्नत करने का साधन है।

2. उद्देश्य

अ. शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति (1986–92) ने स्वशासी महाविद्यालयों के लिए निम्न उद्देश्य सूत्रबद्ध किए। किसी भी स्वशासी महाविद्यालय को निम्न की स्वतंत्रता होगीः–

- अपने अध्ययन संबंधी पाठ्यक्रम एवं पाठ्यविवरण निर्धारित एवं विहित करना, एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों को पुर्नगठित एवं पुनः रूपांकित करना; एवं
- राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार प्रवेश के लिए नियम निर्धारित करना;
- छात्रों, उनके निष्पादन तथा परीक्षाओं के संचालन एवं परिणामों को अधिसूचित करने की विधियों को विकसित करना;
- अधिक उच्च मानकों एवं अधिक सृजनात्मकता प्राप्त करने के लिए शैक्षिक तकनीकों के अद्यतन उपकरण/विधियों का उपयोग करना; एवं
- समस्त समाज एवं परिवेश से जुड़े पाठ्यक्रमों के हित में, सामुदायिक सेवाएँ, विस्तारण गतिविधियाँ एवं परियोजनाओं जैसी स्वस्थ्य क्रियाओं को प्रोन्नत करना।

ब. मूल विश्वविद्यालय, राज्य सरकार एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों के साथ संबंधः

स्वशासी महाविद्यालय, अपनी पाठ्यचर्या सृजित करने, अध्यापन परीक्षा एवं मूल्यांकन की विधियाँ कल्पित करने के लिए, विश्वविद्यालय विभागों एवं अन्य संस्थानों की विशेषज्ञता के उपयोग करने के प्रति स्वतंत्र है। (निजी एवं सरकारी महाविद्यालयों के लिए) वे वर्तमान प्रणालियों के अनुसार अपने शिक्षकों की भर्ती कर सकते हैं।

मूल विश्वविद्यालय, अपने स्वशासी महाविद्यालयों की अध्यापन, परीक्षाओं के मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम पाठ्यविवरण की प्रणालियों को मान्यता देगा। महाविद्यालयों द्वारा उनके अकादमिक पाठ्यक्रमों को विकसित करने में, संकाय में सुधार करने तथा महाविद्यालयों के विभिन्न निकायों के विचार–विमर्श में भागीदारी द्वारा भी वह विश्वविद्यालय उन महाविद्यालयों को सहायता प्रदान करेगा।

<u>मूल विश्वविद्यालय की भूमिका होगीः</u>

- अपने अंतर्गत और अधिक स्वशासी महाविद्यालयों को लाना;
- नवोन्मेषी अकादमिक पाठ्यक्रमों को प्रस्तावित करने के लिए प्रोत्साहन द्वारा स्वशासी महाविद्यालयों में अकादमिक स्वतंत्रता को प्रोन्नत करना;

- नवीन अध्ययन पाठ्यक्रम सुलभ कराना, जो कि आवश्यक अनुदेश, विषयवस्तु एवं मानकों के न्यूनतम घंटों के अधीन होगा;
- उन्हें अपने अनंतिम, प्रवसन एवं अन्य प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति प्रदान करे;
- स्वायत्तता की भावना पोषित करने के लिए यथासंभव सभी प्रयास करना;
- यह सुनिश्चित करना कि जारी की गई डिग्रियों/डिप्लोमा/प्रमाणपत्रों में उस महाविद्यालय का नाम अंकित है;
- स्वशासी महाविद्यालयों की विभिन्न समितियों की सेवार्थ विश्वविद्यालय के विभिन्न नामितों की प्रतिनियुक्ति करना तथा उनके प्रकार्यों पर प्रतिपुष्टि प्राप्त करना; तथा
- स्वशासी महाविद्यालयों के निर्विघ्न क्रियान्वयन को सुलभ कराने के लिए यथा आवश्यक पृथक खण्डों का सृजन करना।

<u>राज्य सरकार स्वशासी महाविद्यालयों को निम्न के द्वारा सहायता प्रदान करेगी:</u>

- यथासंभव शिक्षकों के स्थानांतरण न करें – विशेषकार ऐसे महाविद्यालयों में जहाँ अकादमिक नवोन्मेषी एवं सुधारात्मक प्रगति पर है – अतिरिक्त आवश्यकता आधारित स्थानांतरणों के;
- पुनरीक्षण समिति रिपोर्ट के निर्धारित 90 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त होने के बाद किसी भी महाविद्यालय की स्वायत्तता के विस्तारण हेतु अपनी सहमति आयोग को भेजना तथा ऐसा न हो पाने की स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि उस महाविद्यालय को स्वशासी रूप से बने रहने में राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है;
- सरकारी महाविद्यालयों एवं ऐसे अन्य निकाय जहाँ पर भी उनके नामितों को शामिल किया जाना है, उनके शासी निकायों पर नामितों की प्रतिनियुक्ति नियत समय पर करना;
- मूल विश्वविद्यालय, राज्य सरकार एवं यूजीसी, यह तीनों निवेशकर्ताओं को सच्चे मन एवं पूरी आस्था से एक अत्यंत सद्भावनापूर्ण एवं सक्रिय सहभागी भूमिका निभानी होगी।

स. स्वशासी स्तर प्रदान करना:

संस्थान को प्रदान की गई स्वायत्तता संस्थागत है तथा इसमें समस्त स्नातकपूर्व (यूजी), स्नातकोत्तर (पीजी), डिप्लोमा, एम.फिल. स्तर के पाठ्यक्रम आवृत्त होंगे जिन्हें उस संस्थान द्वारा स्वशासी स्तर प्रदान किए जाने के समय संस्थान द्वारा संचालित किया जा रहा था। इसके साथ ही ऐसे समस्त पाठ्यक्रम, जिन्हें संस्थान द्वारा स्वशासी स्तर प्रदान करने के पश्चात प्रस्तावित किया गया था, वे भी स्वतः इस स्वायत्तता के अंतर्गत आवृत्त हो जाएँगे। किसी भी संस्थान को आंशिक

स्वायत्तता प्रदान नहीं की जा सकती है।

ऐसे महाविद्यालय जो स्वशासी हैं तथा कुछ अन्य महाविद्यालय जो यह स्तर मांग रहे हैं, ऐसे समस्त महाविद्यालयों में प्रस्तुत किए जा रहे प्रमाण–पत्र, डिप्लोमा, स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर एवं एम.फिल. पाठ्यक्रम उस स्वशासी स्तर में आवृत्त होंगें। मूल विश्वविद्यालय, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति से किसी भी स्थायी सहसंबद्धता प्राप्त महाविद्यालय को स्वायतता का स्तर प्रदान कर सकता है। एक बार स्वायत्तता स्वीकृत होने के पश्चात, वह विश्वविद्यालय उस स्वशासी महाविद्यालय के छात्रों को उन डिग्रियों को प्रदान करने के लिए मान्यता देगा, जिन डिग्रियों की अनुशंसा स्वशासी महाविद्यालय द्वारा की गई है। सहसंबद्ध महाविद्यालयों को स्वायत्तता स्वीकृत करने के लिए, विश्वविद्यालयों के अधिनियम एवं अध्यादेशों को संशोधित किया जाना चाहिए। स्वायत्तता प्रदान करने से पूर्व विश्वविद्यालय सुनिश्चित करेगा कि आवेदनकर्ता महाविद्यालय की प्रबंधात्मक संरचना पर्याप्त रूप से सहभागी है तथा अकादमिशियनों द्वारा सृजनात्मक योगदान के लिए उन्हें यथेष्ट सुअवसर उपलब्ध कराता है।

3. लक्ष्यपरक वर्ग एवं पात्रता लक्ष्यपरक वर्गः

ऐसे समस्त महाविद्यालय जो अनुच्छेद 2 (एफ) में हैं, सहायता प्राप्त हैं, सहायता प्राप्त नहीं हैं, आंशिक रूप में सहायता प्राप्तकर्ता है तथा जो स्व–वित्त पोषित हैं जो यूजीसी अधिनियम की धारा 12 (बी) के अंतर्गत आवृत नहीं हैं वे सभी स्वायत्तता स्तर के आवेदन के लिए पात्र हैं। इनमें इंजीनियरिंग महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं।

स्वायत्तता स्वीकृति हेतु संस्थानों की पहचान के मानदण्डः

अ. विश्वविद्यालयी स्तर की परीक्षाओं में गत समय में निष्पादन, उसकी ख्याति एवं गत समय में इसकी अकादमिक/सह–पाठ्यचर्या/विस्तारण संबंधी गतिविधियाँ।

ब. संकाय की अकादमिक/विस्तारण उपलब्धियाँ।

स. इस संदर्भ में सांविधिक अनिवार्यताओं के अधीन छात्रों एवं शिक्षकों के चयन में गुणवत्ता एवं योग्यता।

द. अवसंरचना की पर्याप्तता–उदाहरणार्थ पुस्तकालय, उपकरण, अकादमिक गतिविधियों आदि के लिए स्थान।

ड. संस्थागत प्रबंधन की गुणवत्ता/संस्थान के विकास के लिए प्रबंधन/राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्तीय संसाधन।

छ. प्रशासनिक संरचना द्वारा अनुक्रिया (h) नवोन्मेषी सुधारों की प्रोन्नति के लिए संकाय की अभिप्रेरणा एवं उसे सम्मिलित करना।

ज. ऐसे स्व–वित्त पोषित महाविद्यालय जो न्यूनतम दस वर्षों से विद्यमान हैं वे भी स्वायत्तता के लिए आवदेन कर सकते हैं। तथापि, स्वायत्तता प्रदान किए जाने पर वे स्वायत्तता से जुड़े अनुदान प्राप्त करने के हकदार नही होंगे। उन्हें भी उसी

प्रणाली का अनुसरण करना होगा जैसा कि अन्य महाविद्यालयों के लिए अनुप्रयोज्य है।

झ. (i) गैर सहायता प्राप्त/सहायता प्राप्त महाविद्यालय न्यूनतम 10 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए हों तथा एन.ए.ए.सी./एन.बी.ए. द्वारा प्रत्यायित हों। आगे से गैर–प्रत्यायित महाविद्यालय स्वायत्तता के लिए पात्र नहीं होंगे तथा मौजूदा महाविद्यालयों को एक वर्ष के भीतर प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा।

(ii) एन.ए.ए.सी. द्वारा प्रत्यायित महाविद्यालयों के पास न्यूनतम ''बी'' श्रेणी प्रत्यायन होना चाहिए। इसके साथ ही आयोग ने निर्णय लिया कि इंजीनियरिंग/तकनीकी/प्रबंधन महाविद्यालय की स्वायत्तता के पुनः विस्तारण से जुड़े, प्रस्तावों पर विचार करते समय न्यूनतम तीन पाठ्यक्रमों के लिए एन.बी.ए. के प्रत्यायन के लिए आग्रह किया जाए। तथापि एकल संकाय युक्त संस्थानों के लिए केवल एक वर्ष का ही आग्रह किया जाए–यदि स्वायत्तता की अवधि के पुनः विस्तारण के लिए उन्हें विचाराधीन रखा गया हो।

(iii) जहाँ एक ओर एन.ए.ए.सी/एन.बी.ए. अनिवार्य है, वहीं दूसरी ओर जिन संस्थानो का मूल्यांकन एन.बी.ए. द्वारा किया जा चुका है, वे दो वर्ष के भीतर एन.ए.ए.सी. प्रत्यायन के लिए आवेदन करें।

(iv) ऐसे समस्त महाविद्यालय जो पहले से ही प्रत्यायित थे तथा जिनका प्रत्यायित स्वरूप समाप्त हो चुका है, परंतु जिन्होंने एन.बी.ए./एन.ए.ए.सी. प्रत्यायन के लिए आवेदन किया है, उन्हें नवीन/स्वशासी स्तर/विस्तारण स्वीकृत किया जाना चाहिए।

(v) संघटक महाविद्यालयों को स्वायत्तता स्वीकृत किए जाने के उद्देश्य से उन्हें एन.ए.ए.सी. द्वारा पृथक प्रत्यायन प्रक्रिया का पालन करना चाहिए–केवल उसी स्थिति में यदि एन.ए.ए.सी. रिपोर्ट में उन संघटक महाविद्यालयों के नाम विशेष रूप से दर्शाये गए हों जो मूल विश्वविद्यालय के प्रत्यायन के साथ–साथ आवृत्त थे।

i. शिक्षा, इंजीनियरिंग–प्रौधौगिकी, प्रबंधन एवं शारीरिक शिक्षा इत्यादि विषयों में जो महाविद्यालय व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएँगे, वे भी आयोग से अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे। ऐसे अनुदान इस बात पर निर्भर होंगे कि इन महाविद्यालयों द्वारा स्वायत्तता स्तर प्राप्त कर लेने के पश्चात उनके विकास का स्वरूप एवं स्तर कैसा है।

4. स्वायत्तता के लिए आवेदन करने से पूर्व की तैयारीः

<u>किसी महाविद्यालय को स्वायत्तता हेतु तैयार करनाः</u>

यदि किसी महाविद्यालय की स्वायत्तता का सफलतापूर्ण क्रियान्वयन किया जाना है तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ उपयुक्त तैयारी की आवश्यकता है। वे हैः संकाय की तैयारी, विभागीय तैयारी, संस्थागत तैयारी एवं छात्रों तथा स्थानीय समुदाय की तैयारी। यह

बहुआयामी तैयारी, स्वायत्तता माँगे जाने से बहुत पहले तथा महाविद्यालय को प्रदान किए जाने से पूर्व ही की जानी चाहिए ताकि जिस नए दायित्व को सँभालने के लिए उन्हें कहा गया है उसके प्रति महाविद्यालय के समुदाय का कोई अंश अप्रस्तुत न पाया जाए।

संकाय की तैयारीः

प्रारंभ से ही महाविद्यालय के स्टाफ को विचार–विमर्श एवं संयोजन प्रक्रियाओं में संलिप्त किया जाना अनिवार्य है स्टाफ को स्वायत्तता की इस संकल्पना इसके उद्देश्यों एवं तर्काधार से परिचित होने के लिए संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ एवं परामर्श संयोजित किए जाएँ। (इसके द्वारा उन्हें निर्णय लेने की क्रिया में भागीदारी की भावना प्राप्त होगी तथा समस्त प्रक्रिया में संलिप्त होने की प्रेरणा मिलेगी)। महाविद्यालय के अकादमिक कलैण्डर (समय सारणी) के अंश के रूप में भी हो सकता है।

विभागीय तैयारीः

विभाग का एक महत्वपूर्ण दायित्व, प्रधान एवं संबंद्ध विषयों में उपयुक्त पाठ्यक्रम रूपांकित करना, नए अध्ययन पाठ्यक्रम प्रस्तावित करना, अप्रयुक्त पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु परिवर्तित करके, वर्तमान पाठ्यक्रमों को अद्यतन करके तथा जो प्रत्येक विषय में वर्तमान कलात्मक स्थिति के साथ सुमेलित हो तथा पाठ्यक्रम सामग्री एवं मानव संसाधनों को तैयार करना है। यह समस्त कार्य स्वायत्तता संबंधी सामान्य लक्ष्यों एवं शैक्षिक संस्थानों के विशिष्ट उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा।

अंगीकार किए जाने वाले सामान्य कार्यक्रम हैंः

अ. अध्ययन का सत्रीय स्वरूप
ब. निरंतर आंतरिक आकलन
स. क्रेडिट/ग्रेड प्रणाली
ड. छात्र प्रतिपुष्टि
च. शिक्षकों द्वारा स्व–मूल्यांकन

संस्थागत तैयारीः

क्योंकि किसी भी स्वशासी महाविद्यालय को ऐसे कुछ प्रकार्य निष्पादित करने के लिए कहा जाएगा, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अब तक निष्पादित किया गया है, अतः उस स्वशासी महाविद्यालय को, ऐसे परिवर्तन के अकादमिक, प्रशासनिक/प्रबंधन एवं वित्तीय निहितार्थों का अध्ययन करना चाहिए तथा अपने नवीन प्रकार्यों को कुशलतापूर्ण ढ़ंग से निपटाने के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए।

5. नवीन स्वशासी स्तर के लिए आवेदन प्रक्रियाः

नवीन स्वशासी स्तर हेतु पात्र महाविद्यालय वर्ष पर्यन्त, निर्धारित प्रारूप में (संलग्नक–I) आवेदन कर सकते हैं।

5. (अ) स्वशासी स्तर के विस्तारण के लिए आवेदन की विधिः

ऐसा महाविद्यालय जिसका स्वशासी स्तर समाप्त होने वाला है, उसे अपने इस स्तर के विस्तारण के लिए निर्धारित प्रारूप में (संलग्नक–II) यूजीसी को आवेदन भेजना चाहिए।

6. यूजीसी द्वारा स्वीकृति प्रदान करने की विधिः

''समस्त नवीन प्रस्तावों के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए जिसमें विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व तथा राज्य सरकार के नामित हों। प्रत्येक प्रस्ताव के तात्कालिक निरीक्षण हेतु प्रत्येक प्रस्ताव की विचारणा के लिए अध्यक्ष, यूजीसी एक विशेषज्ञ समिति गठित करेंगे तथा परीवीक्षण समिति की मौजूदा प्रणाली भंग कर दी जाए।''

नवीन स्वशासी स्तर प्रदान करने तथा महाविद्यालयों को स्वायत्तता विस्तारण प्रदान करने के लिए आयोग के अध्यक्ष 3–4 सदस्यों की एक स्थायी समिति गठित करेंगें जो उन अनुशंसाओं को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व उस विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं का अध्ययन करेंगें। रिपोर्टों में यदि कोई विसंगतियों की जानकारी आयोग को दी जानी चाहिए।

विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों एवं संबंद्ध राज्य सरकार की स्वीकृति अनुसार जब यूजीसी द्वारा एक बारगी स्वायत्तता स्वीकृत कर ली जाती है तो विश्वविद्यालय इस आशय की एक अधिसूचना 3 (तीन) माह की अवधि के भीतर जारी करेगा। स्वायत्तता प्रारंभिक रूप में 6 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

7. सहायता का स्वरूपः

<u>वित्तीय सहायता का प्रतिमान एवं अन्य समर्थन प्रदानकारी प्रावधान</u>

स्वशासी महाविद्यालयों द्वारा उनकी अतिरिक्त एवं विशेष जरूरतों की पूर्ति के लिए आयोग सहायता उपलब्ध कराएगा।

- अतिथि/विजिटिंग संकाय
- शिक्षकों का अभिविन्यास एवं पुनः प्रशिक्षण
- अध्यापन/अधिगम सामग्री के पाठ्यक्रमों का पुनः रूपांकन एवं विकास
- कार्यशालाएँ एवं संगोष्ठियाँ
- परीक्षाओं में सुधार
- कार्यालय उपकरण, अध्यापन सहायक यंत्र एवं प्रयोगशाला उपकरण
- कार्यालय, कक्षाओं, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं के लिए फर्नीचर
- पुस्तकालय उपकरण, पुस्तकें/पत्रिकाएँ

- शासी निकाय एवं समितियों की बैठकों पर किया जाने वाला व्यय
- परीक्षा नियंत्रक (पूर्ण कालिक) का मानदेय जो रू0 8,000/– प्रति माह से अधिक न हो
- प्रत्यायन (एन.ए.ए.सी.) शुल्क
- नवीनीकरण एवं मरम्मतें–जो किसी नवीन भवन निर्माण से संबंद्ध न हों
- विस्तारण गतिविधियाँ

स्वायत्तता अनुदान की उपयोगिता के लिए निम्न मार्गदर्शक सिद्धांत होंगेः–

- पदों के सृजन, महाविद्यालय के किसी स्टाफ सदस्य के वेतन का भुगतान, मौजूदा स्टाफ को मानदेय भुगतान (धारा [x] उपरोक्त के अतिरिक्त), महाविद्यालय की सामान्य आकस्मिक जरूरत के लिए अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त पदों के लिए, स्वायत्तता अनुदान का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- परीक्षा शुल्क इस प्रकार से नियत किया जाए ताकि शुल्क से प्राप्त आय द्वारा परीक्षाओं पर एवं परीक्षा प्रकोष्ठ में नियुक्त स्टाफ सदस्यों पर किये जाने वाले व्यय की आपूर्ति की जा सके।

- सामान्य सहायता का उच्चतमांक निम्नवत होगाः

क्र.सं.	संस्थान का स्वरूप	अनुदान राशि रू. में
अ.	केवल स्नातक पूर्वः 1. कला/विज्ञान/वाणिज्य–एकल संकाय मात्र	9,00,000/–
	2. कला/विज्ञान/वाणिज्य–एक से अधिक संकाय	15,00,000/–
ब.	स्नातक पूर्व एवं स्नातकोत्तर स्तरों परः 1. एक संकाय	10,00,000/–
	2. बहु–संकाय	20,00,000/–

अकादमिक वर्ष 2013–2014 से लेकर एन.सी.सी. को एक चयनित विषय के रूप में प्रस्तावित करने के लिए स्वशासी महाविद्यायलों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में अभिवृद्धि

क्र.सं.	संस्थान का नाम	अनुदान राशि (रू0 लाखों में)	अतिरिक्त अनुदान (रू0 लाखों में) एन.सी.सी. को एक चयनित विषय के रूप में प्रस्तावित करने के लिए क्रेडिट पॉइन्ट सहित	स्वशासी महाविद्यालयों को कुल अनुदान जिसमें एन.सी.सी. एक चयनित विषय के रूप में (रू0 लाखों में)
अ.	केवल स्नातक पूर्व			
	1. कला/विज्ञान/वाणिज्य केवल एक संकाय	9.00	1.00	10.00
	2. कला/विज्ञान/वाणिज्य एक से अधिक संकाय	15.00	1.00	16.00
ब.	स्नातक पूर्व एवं स्नातकोत्तर स्तरों के लिए			
	1. एकल संकाय	10.00	1.00	11.00
	2. बहु–संकाय	20.00	2.00	22.00

8. स्वशासी महाविद्यालय का अभिशासनः

अकादमिक, वित्तीय एवं सामान्य प्रशासन संबंधी मामलों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए महाविद्यालय में निम्न समितियाँ विद्यमान होंगीः–

निम्न निकाय सांविधिक हैं:–

- शासी निकाय
- अकादमिक परिषद
- अध्ययन बोर्ड
- वित्तीय समिति

(शासी निकाय, न्यास बोर्ड/प्रबंधन बोर्ड/कार्यकारी समिति/प्रबंधन समिति से पृथक है)

उपरोक्त समितियों का गठन एवं उनके प्रकार्य अनुलग्नक–III से VII में प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, महाविद्यालय में कुछ गैर–सांविधिक समितियाँ होंगी जैसे–नियोजन एवं मूल्यांकन समिति, शिकायत की अपील समिति, परीक्षा समिति, दाखिला समिति, पुस्तकालय समिति, छात्र कल्याण समिति, पाठ्येतर गतिविधि समिति एवं अकादमिक लेखा परीक्षा समिति

शासी निकाय:

इस निकाय का गठन, **अनुलग्नक–III** में दी गई संरचना अनुसार होगा।

अकादमिक परिषद:

अकादमिक परिषद समस्त अकादमिक मामलों के लिए उत्तरदायी होगी–यथा अकादमिक नीति का सृजन, पाठ्यक्रमों, विनियमों एवं पाठ्य विवरण आदि का अनुमोदन। परिषद सभी स्तरों पर संकाय को, तथा बाहर के विशेषज्ञों को, जिनमें विश्वविद्यालय एवं सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे, उनकों संलिप्त करेगी। अकादमिक परिषद द्वारा लिए गए निर्णय, अकादमिक परिषद द्वारा अथवा विश्वविद्यालय के अन्य सांविधिक निकायों के द्वारा और अधिक अनुसमर्थन के लिए निर्भर नहीं होगी। अकादमिक परिषद का गठन एवं प्रकार्य **अनुलग्नक–IV** में दर्शाये गये हैं।

अध्ययन बोर्ड:

अध्ययन बोर्ड किसी भी स्वशासी महाविद्यालय की अकादमिक प्रणाली का आधारभूत घटक है। इसके प्रकार्यों में सम्मिलित हैं–विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यविवरण तैयार करना, समय–समय पर पाठ्यविवरणों का पुनरीक्षण एवं अद्यतन करना, नवीन अध्ययन पाठ्यक्रम प्रस्तावित करना, निरंतर आकलन के विस्तृत रूप को निर्धारित करना, सत्रीय प्रणाली के अंतर्गत परीक्षकों की चयनित सूची की अनुशंसा करना आदि। अध्ययन बोर्ड का गठन एवं उसके प्रकार्य **अनुलग्नक–V** में दिए गए हैं।

वित्तीय समितिः

वित्तीय समिति, वित्त संबंधी मामलों पर शासी निकाय को परामर्श प्रदान करेगी तथा वर्ष में दो बार बैठक करेगी। वित्तीय समिति का गठन एवं उसके प्रकार्य **अनुलग्नक– VI** में दर्शाये गए हैं।

9. पर्यवेक्षण/मूल्यांकन एवं अनुदान जारी करने की विधिः

स्वायत्तता का अधिकार एक बारगी सदा के लिए प्रदान नहीं किया जा सकता है। महाविद्यालय द्वारा निरंतर ही इसे अर्जित किया जाना चाहिए। स्वायत्तता का स्तर प्रारंभिक रूप में 6 वर्ष के लिए स्वीकृत किया जाएगा।

प्रत्येक स्वशासी महाविद्यालय अपनी अकादमिक परिषद की स्वीकृति से एक उपयुक्त तंत्र सूत्रबद्ध करेगा–जो कि उसके अकादमिक निष्पादन, मानको के सुधार का तथा स्वायत्तता को उपयोग करने के विस्तार एवं मात्रा का मूल्यांकन करेगा। स्व–मूल्यांकन वार्षिक आधार पर होगा। यूजीसी जैसा उपयुक्त समझे, स्वशासी स्तर का पुनरीक्षण किसी भी समय कर सकता है। तथापि छठे वर्ष में एक बाहरी मूल्यांकन होगा जिसके आधार पर स्वशासी स्तर की निरंतरता अथवा आहरण निर्धारित किया जाएगा।

अध्यक्ष, यूजीसी द्वारा गठित एक पुनरीक्षण समिति कुछ विशेषज्ञों सहित महाविद्यालयों का दौरा कर सकती है तथा निम्नवत स्वशासी महाविद्यालयों की कार्य शैली का पुनरीक्षण करने हेतु दौरा कर सकती हैः–

(1) 3 विशेषज्ञ जिनमें अध्यक्ष भी होंगे।
(2) सहसंबद्ध विश्वविद्यालय के एक नामित
(3) संबंद्ध राज्य सरकार का एक नामित
(4) यूजीसी अधिकारी (सदस्य सचिव)

किसी भी महाविद्यालय के एक स्वशासी महाविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित किए जाने के समय एवं किसी भी स्वशासी महाविद्यालय की कार्यशैली के पुनरीक्षण के समय संबंद्ध राज्य सरकार से अपना व्यक्ति नामित करने का अनुरोध किया जाए। यदि किसी स्थिति में, इस आशय के पत्र के जारी करने के 90 दिनों के भीतर राज्य सरकार अपना नामित व्यक्ति उपलब्ध नहीं कराती है तो उपरोक्त समितियाँ पुनरीक्षण क्रिया द्वारा नवीन प्रतिष्ठान हेतु प्रक्रिया संपन्न करा सकती है। आयोग ने इसके साथ ही निर्णय लिया कि शासी निकाय में दो वर्षों तक सेवा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दो शिक्षक प्रतिनिधि नामित किए जाएँ।

स्वायत्तता की अवधि की समाप्ति के पश्चात यदि स्वशासी महाविद्यालयों का पनुरीक्षण विलम्बित हो गया है तो मौजूदा स्वशासी महाविद्यालयों को विपत्ति से बचाने के लिए, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ''लेखा'' अनुदान के रूप में दिये अनुदान का 80 प्रतिशत अनुदान जारी किया जाएगा।

और इसके साथ ही पुनरीक्षण रिपोर्ट में एवं स्वायत्तता के नवीकरण की स्थिति में वह

महाविद्यालय उस स्वायत्तता के साथ–साथ, लाभों की पात्रता चाहे वित्तीय हों अथवा अन्यथा हों जिसकी संकल्पना परियोजना के अंतर्गत की गई है–उनका लाभ उठाते रहेंगें जब तक कि सरकार अथवा मूल विश्वविद्यालय एक विशेष आदेश के तहत इस निरंतरता को आहरित न करे।

ऐसे स्वशासी महाविद्यालय जिनका सफलतापूर्वक पुनरीक्षण पहले तीन बार किया जा चुका है (18 वर्ष) तथा जिन्होंने एन.ए.ए.सी. के न्यूनतम 'बी' ग्रेड के अंक निरंतर अर्जित किए हैं (2.5 की सी.जी.पी. सहित) उन्हें समिति के उस अधिदेशात्मक दौरे से मुक्त रखा जाएगा जो स्वशासी महाविद्यालय स्तर के विस्तारण हेतु आवश्यक है। एक बार यदि वे उपरोक्त मानदण्ड पूरा कर लेते हैं तो ऐसे महाविद्यालय अपेक्षित सूचना प्रदान करेंगें (प्रारूप के अनुसार) तथा आयोग द्वारा स्वतः ही विस्तारण पर विचार किया जाएगा।

समस्त स्वशासी महाविद्यालयों के लिए आवश्यक है कि वे अपनी वेबसाइट पर, उपलब्ध कराए गए पाठ्यक्रम, संकाय, अवसंरचना की उपलब्धता, दाखिले का विवरण आदि की सूचना को अपलोड करें।

किसी भी स्वशासी महाविद्यालय के मानकों में गिरावट होने के साक्ष्य की उपलब्धता की स्थिति में, यह यूजीसी के लिए एवं विश्वविद्यालय के लिए स्वतंत्रता होगी कि वे सावधानीपूर्ण जाँच के पश्चात एवं पारस्परिक परामर्श तथा प्रबंधन को उचित नोटिस द्वारा उस महाविद्यालय का स्वशासी स्तर आहरित कर सकते हैं। ऐसे मामलों में ऐसे छात्र जिन्हें स्वशासी स्तर के अंतर्गत प्रवेश दिया गया था उन्हें स्वशासी स्तर के अंतर्गत पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति होगी।

यूजीसी द्वारा स्वायत्तता अनुदान जारी करने की विधिः

निर्धारित अवधि के भीतर स्वायत्तता का लाभ उठाने वाले स्वशासी महाविद्यालयों को स्वायत्तता अनुदान जारी करने की विधि निम्नवत हैः

1. किसी भी स्वशासी महाविद्यालय द्वारा अपनी वित्त समिति की बैठक प्रति वर्ष अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में करनी चाहिए, जिसमें गत वर्ष के स्वायत्तता अनुदान की उपयोगिता की स्थिति पर विचार विमर्श करा जाए, तथा अगले वर्ष के स्वायत्तता अनुदान संबंधी बजट पर चर्चा की जानी चाहिए। वित्त समिति द्वारा इस बैठक में बजट के अंतिम रूप को विधिवत स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।
2. केवल ऐसे मद ही सम्मिलित किए जाने चाहिए जो इन दिशानिर्देशों की धारा 7 के अनुसार अनुमित हैं। उपयोगिता की दृष्टि से इन मदों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यय स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. वित्त समिति द्वारा अनुमोदित एवं तैयार किया गया बजट अंतिम स्वीकृति हेतु शासी निकाय के समक्ष प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।

4. वित्त समिति एवं शासी निकाय द्वारा विधिवत अनुमोदित बजट को यूजीसी के संबंद्ध क्षेत्रीय कार्यालय को 30 अप्रैल अथवा इससे पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि किसी अपरिहार्य कारणों से शासी निकाय की बैठक 30 अप्रैल से पूर्व नहीं हो पाती है तो शासी निकाय के सदस्य सचिव होने की हैसियत से प्राचार्य, शासी निकाय के अध्यक्ष की अनुमति से बजट को संबंद्ध क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं।

नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने से संबंद्ध सामान्य बातें:

कोई भी स्वशासी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति के बिना डिप्लोमा (स्नातकपूर्व एवं स्नातकोत्तर) अथवा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र है। डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र महाविद्यालय की सील के अंतर्गत जारी किए जाएँगें।

कोई भी स्वशासी महाविद्यालय, उस महाविद्यालय की अकादमिक परिषद की अनुमति से नए डिग्री अथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र है। जहाँ तक घंटों की संख्या पाठ्यचर्या विषयवस्तु एवं मानकों का संबंध है, ऐसे पाठ्यक्रमों के अंतर्गत, विश्वविद्यालय/यूजीसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों की पूर्ति की जाएगी तथा इस विषय में इन पाठ्यक्रमों के बारे में विश्वविद्यालय को विधिवत सूचित किया जाएगा।

कोई भी स्वशासी महाविद्यालय, यूजीसी विनियमों के अनुसार तथा महाविद्यालय की अकादमिक परिषद की अनुमति से किसी भी मौजूदा पाठ्यक्रम का पुर्नगठन/पुनः रूपांकन करके उसे नया नाम प्रदान कर सकता है। ऐसी कार्रवाइयों की सूचना विधिवत उस विश्वविद्यालय को दी जानी चाहिए ताकि वह पुरानी डिग्रियों के स्थान पर नई डिग्रियाँ प्रदान कर सके।

किसी भी स्वशासी महाविद्यालय के समस्त नवीन पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास होना चाहिए। जहाँ पर भी मानकों अथवा गुणवत्ता में गिरावट होने का साक्ष्य मिले, तो विश्वविद्यालय सूक्ष्म रूप से जाँच पड़ताल करके तथा यूजीसी से परामर्श के पश्चात या तो उनको संशोधित करे–अथवा यथासंभव ऐसे पाठ्यक्रमों को निरस्त कर दे।

मूल विश्वविद्यालय के माध्यम से डिग्रियाँ प्रदान करना:

मूल विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों को डिग्रियाँ प्रदान करेगा जिनका आकलन एवं जिनकी अनुशंसा स्वशासी महाविद्यालय द्वारा की गई है। डिग्री प्रमाण पत्र ऐसे सामान्य प्रारूप में होंगें जिनकी अभिकल्पना विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। यदि ऐसी इच्छा की गई तो महाविद्यालय का नाम डिग्री प्रमाणपत्र में उल्लिखित किया जाएगा। तीन सत्रों की पूर्ति कर लेने वाले स्वशासी महाविद्यालय अपने शीर्षक के अंतर्गत तथा महाविद्यालय की सील सहित डिग्री प्रदान कर सकते हैं।

10. स्वशासी महाविद्यालय के विशिष्ट लक्षणः

नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करना

कोई भी स्वशासी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति के बिना डिप्लोमा, (स्नातक पूर्व एवं स्नातकोत्तर) अथवा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र है। डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र उस महाविद्यालय की सील के अंतर्गत जारी किए जाएँगे।

कोई भी स्वशासी महाविद्यालय कोई नवीन डिग्री अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को अकादमिक परिषद की अनुमति से प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र है। जहाँ तक घंटों की संख्या, पाठ्यचर्या विषयवस्तु एवं मानकों का संबंध है, ऐसे पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विश्वविद्यालय/यूजीसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों की पूर्ति की जानी चाहिए तथा इन पाठ्यक्रमों के बारे में विश्वविद्यालय को विधिवत सूचित किया जाएगा।

कोई भी स्वशासी महाविद्यालय किसी मौजूदा पाठ्यक्रम को महाविद्यालय अकादमिक परिषद एवं यूजीसी विनियमों के अनुसार, पुनः संरचित रूपांकित करके इसका नया नामकरण कर सकता है। इस नवीन शब्दावली को यूजीसी द्वारा यूजीसी अधिनियम 22 के अंतर्गत विशिष्ट रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए। इस सब कार्रवाइयों की विधिवत सूचना विश्वविद्यालय को दी जानी चाहिए ताकि वह पुरानी डिग्रियों के स्थान पर नवीन डिग्रियाँ प्रदान करें।

स्वशासी महाविद्यालय के सभी नवीन पाठ्यक्रमों के पुनरीक्षण का अधिकार विश्वविद्यालय को होना चाहिए। जहाँ पर भी मानकों अथवा गुणवत्ता में गिरावट नजर आए तो सावधानीपूर्वक जाँच पड़ताल एवं यूजीसी के परामर्श से या तो उन्हें संशोधित करे–जहाँ तक संभव हो–अथवा ऐसे पाठ्यक्रमों को निरस्त कर दें।

स्वशासी महाविद्यालय द्वारा किसी नवीन पाठ्यक्रम को प्रस्तावित करने की विधिः

सोपान 1

महाविद्यालय के संबंद्ध विभाग द्वारा नवीन पाठ्यक्रम प्रस्तावित करने के विचार की संकल्पना की जानी चाहिए तथा उस विषय के अध्ययन बोर्ड की बैठक में इस पर गहन चर्चा की जानी चाहिए। ऐसे विचार को अध्ययन बोर्ड एक प्रस्ताव के रूप में सूत्रबद्ध करेगा जिसमें समस्त विवरण होगा, जैसे कि उद्देश्य, पात्रता, पाठ्यक्रम की विषयवस्तु एवं शुल्क संरचना। ऐसे प्रस्ताव को अकादमिक परिषद को अग्रेषित किया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव एक अध्यादेश के स्वरूप वाला होगा।

सोपान 2

ऐसे प्रस्ताव पर अकादमिक परिषद अपनी बैठक में चर्चा करेगी तथा इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करेगी। यदि उनके विचार से प्रस्ताव उपयुक्त है। अकादमिक परिषद को अधिकार होगा कि वह प्रस्ताव को सुधार/संशोधन हेतु अध्ययन बोर्ड को भेज दें अथवा उचित तर्कों के आधार पर प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर सकती है। आवश्यक संशोधनों के पश्चात प्रस्ताव को अकादमिक परिषद के पास पुनः विचारण हेतु दोबारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

सोपान 3

अकादमिक परिषद द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव को अंततः उस महाविद्यालय के शासी निकाय को अंतिम स्वीकृति एवं उस प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु भेजा जा सकता है।

सोपान 4

महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव को स्वशासी महाविद्यालय सूचनार्थ विश्वविद्यालय को भेजेगा।
विश्वविद्यालय, उस प्रस्ताव में विद्यमान बातों के विषय में महाविद्यालय से स्पष्टीकरण माँग सकता है। वह महाविद्यालय, इस शर्त पर कि विश्वविद्यालय ऐसे नवीन प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत डिग्री प्रदान करने के लिए छात्रों को अपनाएगा–ऐसा स्पष्टीकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

11. सांविधिक निकायों की बैठकें:

पर्याप्त तैयारी एवं सुविस्तृत भागीदारी युक्त चर्चाओं के पश्चात ही नवीन पाठ्यक्रम प्रस्तावित करने का क्रियान्वयन होना चाहिए।

- अगले अकादमिक सत्र में प्रस्तावित किये जाने वाले किसी पाठ्यक्रम की तैयारी पूर्ववर्ती सत्र के अक्टूबर माह की अध्ययन बोर्ड की बैठकों के साथ प्रारंभ की जानी चाहिए।
    - अकादमिक परिषद की बैठक दो बार होनी चाहिए–पहली बार यह जनवरी के माह में हो जिसमें अगले अकादमिक सत्र के प्रस्तावों पर चर्चा की जाए तथा पुनः अगस्त माह में होनी चाहिए जिसमें नए प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की स्थिति का सर्वेक्षण किया जाए। गुणवत्ता विनियमों को अनुरक्षित करने के तरीकों का अकादमिक परिषद सुझाव देगी।
    - शासी निकायों की बैठकें, अकादमिक परिषद की बैठकों के अनुसरण में होनी चाहिए। अगस्त माह में शासी निकाय द्वारा स्वायत्तता निधि जिसमें यूजीसी से प्राप्त स्वायत्तता अनुदान भी शामिल हो–उसके बजट को पारित करना चाहिए।

- किसी भी वित्तीय वर्ष में वित्त समिति की बैठक न्यूनतम दो बार होनी चाहिए। यह बैठकें प्रत्येक वर्ष के अप्रैल एवं सितम्बर माह में संचालित की जा सकती हैं। अप्रैल की बैठक स्वायत्तता अनुदान की बजट बैठक होगी तथा सितम्बर माह में एक और बजट बैठक होगी जो ऐसे स्वायत्तता निधि से संबंद्ध होगी–जिसे परीक्षा एवं अन्य सापेक्ष शुल्क के माध्यम से निर्मित किया गया है।

12. परीक्षा प्रकोष्ठ एवं प्रणाली

स्वशासी महाविद्यालय में एक परीक्षा प्रकोष्ठ होगा जिसका नेतृत्व उस परीक्षा नियंत्रक द्वारा किया जाएगा जो स्थायी संकाय सदस्य होगा, जिसे उस व्यक्ति की क्षमता के आधार पर प्राचार्य द्वारा नामित किया गया हो। महाविद्यालय के प्राचार्य, परीक्षाओं के प्रमुख नियंत्रक होंगे।

महाविद्यालय के प्राचार्य की अनुमति से परीक्षा नियंत्रक (पु/म) अपने दल का निर्माण करेंगे। इस दल में उप–नियंत्रक/सहायक नियंत्रक सम्मिलित होंगे तथा नामित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, परीक्षा प्रकोष्ठ में विद्यमान कार्य की मात्रा पर निर्भर करेगी। महाविद्यालय में सेवारत शिक्षक, परीक्षा प्रकोष्ठ में 3 वर्ष की अवधि के लिए नामित किए जाएँगे। अध्यापन का जो कार्य महाविद्यालय द्वारा अनुसूचित किया गया है वे शिक्षक उसे निरंतर संपन्न करते रहेंगें।

इस कार्य के लिए कार्यालय सहायकों, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स एवं अन्य सहायक जो स्वशासी प्रकोष्ठ में हैं–का दल होगा।

प्रश्नपत्रों एवं अन्य सापेक्ष गोपनीय सामग्री के प्रकाशन के लिए परीक्षा प्रकोष्ठ में उपयुक्त प्रकाशन एकांश भी होगा।

परीक्षा प्रकोष्ठ के समस्त अंशकालिक/पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को अपने सामान्य कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य निष्पादित करने के लिए मानदेय दिया जाएगा। ऐसे मानदेय को वित्त समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा तथा शासी निकास इसे स्वीकृति प्रदान करेगा।

वित्त समिति की अनुशंसा के आधार पर शासी निकाय अनुबन्धात्मक आधार पर परीक्षा प्रकोष्ठ में पूर्ण कालिक स्टाफ की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान कर सकता है। ऐसे स्टाफ के वेतन का निर्णय भी उसी तंत्र द्वारा किया जाएगा।

आंतरिक एवं बाह्य परीक्षा द्वारा छात्रों का निरंतर विस्तृत आकलन किया जाएगा। न्यूनतम दो आंतरिक परीक्षाएँ प्रति सत्र की जाए एवं एक सत्रान्त परीक्षा भी संचालित की जानी चाहिए।

छात्रों को रटी–रटायी अधिगम से मुक्त करने के उद्देश्य से आंतरिक आकलन के विभिन्न तंत्रों को अपनाया जाना चाहिए जैसे कि सामूहिक चर्चा, प्रपत्र पाठन, गृह–कार्य एवं मौखिक साक्षात्कार।

परीक्षा कार्य के लिए मुआवजे का निर्णय वित्त समिति को लेना चाहिए तथा इसे शासी निकाय द्वारा स्वीकृति दी जानी चाहिए। परंतु किसी भी स्थिति में यह मूल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही राशि से कम नहीं होना चाहिए।

13. डिग्रियाँ प्रदान करना:

मूल विश्वविद्यालय द्वारा

- स्वशासी महाविद्यालयों द्वारा आकलन एवं अनुशंसा किए गए छात्रों को मूल विश्वविद्यालय द्वारा डिग्रियाँ प्रदान की जाएँगी। डिग्री प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा अभिकल्पित प्रारूप में ही होंगी। यदि वांछित हुआ तो डिग्री प्रमाण पत्र में महाविद्यालय का नाम को दर्शाया जाएगा।

14. कुछ सामान्य बातें:

- अध्यापन स्टाफ की समस्त भर्ती शासी निकाय द्वारा/राज्य सरकार द्वारा, यूजीसी एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार की जाएगी।
- स्वशासी महाविद्यालयों के छात्रों को उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय छात्रों के आंतरिक एवं बाह्य आकलन को विचाराधीन रखेंगे।
- महाविद्यालयों में अनवरत–शिक्षा विभागों के अंतर्गत विशेष आवश्यकता आधारित लघु–अवधि पाठ्यक्रम किसी भी स्वशासी महाविद्यालय की एक महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। ऐसे पाठ्यक्रमों द्वारा महाविद्यालय के छात्रों साहित बाहरी छात्र जो उनमें नामांकन के इच्छुक हैं वे सभी लाभान्वित होंगें।
- जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है, शिक्षकों द्वारा योजनाओं एवं विस्तार कार्य में लगाये गये समय को उनके कार्यभार के परिगणन हेतु शामिल किया जाएगा।
- किसी भी स्वशासी महाविद्यालय द्वारा विभिन्न निकायों की बैठकों की एक तिथि सारणी तैयार करनी चाहिए ताकि सुनिश्चित हो सके कि उनके द्वारा की गई अनुशंसाओं का क्रियान्वयन अत्यधिक रूप से, ऐसी बैठकों के गैर–आयोजन के कारणों से विलम्बित न हो।
- मापदण्डों में कई विस्तृत रूप वाले पाठ्यक्रमों को विकसित किया जा सकता है ताकि छात्र अपनी सुविधा के अनुसार अपना विकल्प चयनित कर सकें। ऐसे पाठ्यक्रम अतिरिक्त क्रेडिट प्राप्त करने में उनके लिए सहायक बन सकते हैं।

- स्वशासी महाविद्यालयों में शिक्षकों के आकलन में सम्मिलित हो सकते हैं – आवधिक स्व–मूल्यांकन, शिक्षकों के निष्पादन का संस्थागत आकलन, छात्र पुष्टि शोध मूल्यांकन एवं शिक्षक मूल्यांकन संबंधी अन्य उपयुक्त स्वरूप।
- किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में स्थित स्वशासी महाविद्यालय एक सहायक संघ का सृजन कर सकते हैं, जो पारस्परिक सहयोग/सहभागिता से जुड़े कुछ चयनित क्षेत्रों में होगा, जैसे–प्रबंधन निपुणता, राष्ट्रीय सेवाएँ, प्रवेश परीक्षाएँ, सेवाओं वाली परियोजनाएँ, अंतर महाविद्यालयी/अंतः महाविद्यालयी रूप से अध्यापन पाठ्यक्रमों की विशेषता एवं मानव संसाधनों में भागीदारी।
- महाविद्यालयों में सामान्य रूप से तथा विशेष रूप से स्वशासी महाविद्यालयों में, क्रेडिट प्रणाली एवं क्रेडिट हस्तांतरण को उपयुक्त रूप से अंगीकार किया जा सकता है।
- स्वशासी महाविद्यालय ऐसी पुनरावर्ती अकादमिक गतिविधियों में संलिप्त किए जाएँ जो छात्रों की रुचि के अनुसार एवं शिक्षा की उस गुणवत्ता के अनुसार जो गैर–समझौते वाले पक्ष में विद्यमान हैं।
- विश्वविद्यालय के साथ स्थायी सहसंबंद्धता होने के कारण स्वशासी महाविद्यालय द्वारा नवीन विषयों के लिए सहसंबंद्धता हेतु उन विषयों के प्रस्तावित किए जाने के समय किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रारंभ किया जा रहा कोई विषय स्वशासी परियोजना के अंतर्गत आवृत्त होगा।
- किसी भी सरकारी स्वशासी महाविद्यालय के प्राचार्य को राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति/अनुमति के बिना यूजीसी निधि में से क्रय करने का अधिकार होगा।
- स्वशासी महाविद्यालयों द्वारा मूल विश्वविद्यालय को प्रति वर्ष सहसंबंद्धता शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। स्वशासी स्तर की अनुरूपता प्राप्त करने के समय एकैकी शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। इस शुल्क के विषय में मूल विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद निर्णय ले सकती है।
- इंटरनेट संपर्क के लिए यूजीसी द्वारा प्रत्येक स्वशासी महाविद्यालय को VSAT उपलब्ध कराई जाएगी।
- योग्य छात्रों के लिए स्वशासी महाविद्यालय मेडल स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस संबंध में मूल्य एवं अन्य निबंधन शर्तों पर महाविद्यालय में स्थित उपयुक्त निकायों की स्वीकृति से निर्णय लिया जा सकता है।

अनुलग्नक–I

स्वशासी स्तर के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप

प्रस्ताव को निम्न प्रारूप में यूजीसी को भेजा जाना चाहिएः

खण्ड–1: नवीन स्वशासी स्तर का सारांश प्रपत्र

1.	महाविद्यालय का नाम संपर्क विवरण सहित	.....	
2.	सहसंबंद्ध विश्वविद्यालय	.....	
3.	धारा 2 (एफ) में आवृत्त	हाँ.....	नहीं.....
	धारा 12 (बी) स्तर	हाँ.....	नहीं.....
4.	महाविद्यालय की स्थापना का वर्ष	.....	
5.	एन.ए.ए.सी./एन.बी.ए. प्रमाण पत्र उपलब्ध है	हाँ.....	नहीं.....
6.	यदि हाँ तो एन.ए.ए.सी. से प्राप्त ग्रेड	.....	
7.	संस्थान/महाविद्यालय की श्रेणी (सरकारी/निजी/सहायता प्राप्त आदि)	.....	
	क्या महाविद्यालय स्व–वित्त पोषित है	हाँ.....	नहीं.....
8.	क्या प्रस्ताव सहसंबंद्ध विश्वविद्यालय से अग्रेषित है	हाँ.....	नहीं.....
9.	महाविद्यालय द्वारा संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रमों का स्वरूप	हाँ.....	नहीं.....

प्राचार्य (हः एवं सील)

कुल सचिव/डीन विश्वविद्यालय (हः)

खण्ड–II: संस्थान की पृष्ठभूमि

भाग–III: मानदण्डों पर आधारित सूचना की आपूर्ति

1. अकादमिक कीर्ति एवं प्रावधान (विश्वविद्यालयी परीक्षा में निष्पादन एवं अन्य अकादमिक गतिविधियाँ)

2. स्टाफ की अकादमिक उपलब्धियाँ

3. छात्रों एवं शिक्षकों के चयन की विधि

4. भौतिक सुविधाएँ अर्थात पुस्तकालय, आवास एवं उपकरण

5. संस्थागत प्रबंधन

6. संस्थान के विकास हेतु जो वित्तीय संसाधन प्रबंधन उपलब्ध करा सकता है

7. स्टाफ एवं छात्रों के दृष्टिकोणों के प्रति प्रशासनिक संरचना की अनुक्रिया

8. स्टाफ द्वारा अग्रवर्ती शोधवृत्ति, शोध एवं प्रयोगवाद में प्राप्त की जा रही स्वतंत्रता का विस्तार तथा शैक्षिक नवोन्मेष एवं सुधारों में उनकी लिप्तता।

खण्ड– IV : स्वायत्तता का क्रियान्वयन

- ध्येय एवं उद्देश्य
- महाविद्यालय का प्रबंधन
- अकादमिक परिषदः संरचना एवं प्रकार्य
- अध्ययन बोर्डः संरचना एवं प्रकार्य
- अन्य समितियाँ
- प्रवेश पात्रता
- पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम
- छात्र प्रतिपुष्टि
- आंतरिक आकलन
- बाह्यीय आकलन
- वित्तीय निहितार्थ
- पाठ्यक्रम विषयवस्तु
- सहपाठ्यात्मक एवं पाठ्येत्तर गतिविधियाँ

खण्ड–v: मूलभूत सूचना

1. महाविद्यालय का नामः
2. प्राचार्य का नामः
3. दूरभाष / फैक्स / ईमेलः
4. स्थापना किस वर्ष में हुईः
5. क्या निजी / सरकारी / विश्वविद्यालय अनुरक्षित हैंः
6. स्थायी सहसंबंद्धता किस वर्ष में हुईः
7. प्रस्तुत किए जा रहे पाठ्यक्रमः
   स्नातक पूर्व
   स्नातकोत्तर
   एम.फिल.

8. गत तीन वर्षों में छात्र नामांकनः
   स्नातक पूर्व
   स्नातकोत्तर
   एम.फिल.
9. संकाय में नियुक्त व्यक्तिः श्रेणीवार (कृपया संकाय सदस्यों की एक सूची संलग्न करें–उनकी योग्यताओं / प्रपत्रों / पुस्तकों / प्रबंध–यदि मुद्रित हैं)
10. प्रशासनिक प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्टाफः
11. गत 5 वर्षों के परिणामः निम्न की प्रतिशतता सहित

	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	समग्र रूप से सफल
स्नातक पूर्व			
स्नातकोत्तर			

12. गत वर्षों के परिणामतः एम.फिल. / पीएच.डी. की संख्या

विषय	वर्ष	एम.फिल.	पीएच.डी.

पुस्तकालय में पत्रिकाओं की सूचीः

महाविद्यालय में मुख्य उपकरणों की सूची (जिनकी प्रत्येक की लागत रु0 50,000/– से अधिक है):

13. क्या महाविद्यालयो एन.ए.ए.सी./एन.बी.ए. द्वारा प्रत्यायित है, निर्धारण स्तर व्यक्त करें:

14. संपूर्ण बैंक विवरण (अधिदेशात्मक प्रारूप)

सहसंबंद्ध विश्वविद्यालय के कुलसचिव के हस्ताक्षर
(सील सहित)

प्राचार्य के हस्ताक्षर

अनुलग्नक–II

स्वशासी स्तर के पुनरीक्षण संबंधी प्रारूप

1.	महाविद्यालय का नाम संपर्क विवरण सहित	.....	
2.	सहसंबंद्ध विश्वविद्यालय	.....	
3.	धारा 2 (एफ) में आवृत्त	हाँ.....	नहीं.....
	धारा 12 (बी) स्तर	हाँ.....	नहीं.....
4.	महाविद्यालय की स्थापना का वर्ष	.....	
5.	एन.ए.ए.सी./एन.बी.ए. प्रमाण पत्र उपलब्ध है	हाँ.....	नहीं.....
6.	यदि हाँ तो एन.ए.ए.सी. से प्राप्त ग्रेड	.....	
	एन.बी.ए. में आवृत्त पाठयक्रमों की संख्या		
7.	संस्थान/महाविद्यालय की श्रेणी (सरकारी/निजी/सहायता प्राप्त आदि)	.....	
	क्या महाविद्यालय स्व–वित्त पोषित है	हाँ.....	नहीं.....
8.	क्या प्रस्ताव सहसंबंद्ध विश्वविद्यालय से अग्रेषित है	हाँ.....	नहीं.....
9.	स्वायत्तता प्रदान किए जाने के समय संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रम	.....	
10.	स्वायत्तता अवधि के दौरान जो नवीन पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या जोड़े गए	.....	

प्राचार्य (हः एवं सील)

कुल सचिव/डीन विश्वविद्यालय (हः)

अनुलग्नक–III

शासी निकाय के बोर्ड का गठन एवं उसके प्रकार्य

अ. निजी प्रबंधन युक्त स्वशासी महाविद्यालय के शासी निकाय की व्यवस्था

संख्या	श्रेणी	स्वरूप
5 सदस्य	प्रबंधन	न्यास अथवा प्रबंधन, जैसे भी व्यवस्था अथवा उप नियम हैं, जिसमे चेयरमैन अथवा अध्यक्ष/निदेशक चेयरपर्सन के रूप में हो
2 सदस्य	महाविद्यालय के शिक्षक	वरिष्ठता के आधार पर जो प्राचार्य द्वारा नामित हैं
1 सदस्य	शिक्षाविद् अथवा उद्योगपति	जो प्रबंधन द्वारा नामित है
1 सदस्य	यूजीसी द्वारा नामजद	यूजीसी द्वारा नामित
1 सदस्य	राज्य सरकार द्वारा नामजद	अकादमिशीयन जो प्रोफेसर के नीचे पद वाला न हो अथवा उच्च तशक्षा निदेशालय का राज्य सरकार कर्मचारी/उच्चतर शिक्षा की राज्य परिषद का राज्य कर्मचारी
1 सदस्य	विश्वविद्यालय द्वारा नामजद	विश्वविद्यालय द्वारा नामित
1 सदस्य	महाविद्यालय के प्राचार्य	पूर्व कर्मचारी

ब. सरकारी स्वशासी महाविद्यालय के शासी निकाय का गठन

संख्या	श्रेणी	स्वरूप
3 सदस्य जिनमें एक व्यक्ति चेयरपरसन होगा	शिक्षाविद् उद्योगपति, व्यवसायी	राज्य सरकार द्वारा नामित। ऐसे व्यक्ति जो चयनित अकादमिक रुचि वाले हैं जिनकी न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर स्तर की है।
2 सदस्य	महाविद्यालय के शिक्षक	वरिष्ठता के आधार पर प्राचार्य द्वारा नामित
1 सदस्य	शिक्षाविद् अथवा उद्योगपति	वरिष्ठता के आधार पर प्राचार्य द्वारा दो वर्ष के लिए नामित
1 सदस्य	यूजीसी द्वारा नामित	यूजीसी द्वारा नामित
1 सदस्य	राज्य सरकार द्वारा नामित	राज्य सरकार द्वारा नामित
1 सदस्य	विश्वविद्यालय द्वारा नामजद	विश्वविद्यालय द्वारा नामजद
1 सदस्य	महाविद्यालय के प्राचार्य	पूर्व–कर्मचारी

स. विश्वविद्यालय आंगिक स्वशासी महाविद्यालय के शासी निकाय का गठन

संख्या	श्रेणी	स्वरूप
3 सदस्य जिनमें से एक व्यक्ति चेयरपर्सन होगा	शिक्षाविद्, उद्योगपति, व्यवसायी	विश्वविद्यालय द्वारा नामित, चयनित अकादमिक रुचि वाले व्यक्ति जिनकी न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर स्तर की हो
2 सदस्य	महाविद्यालय के शिक्षक	वरिष्ठता के आधार पर प्राचार्य द्वारा चयनित
1 सदस्य	राज्य सरकार द्वारा नामजद	राज्य सरकार द्वारा नामित
1 सदस्य	विश्वविद्यालय द्वारा नामजद	यूजीसी द्वारा नामित
1 सदस्य	राज्य सरकार द्वारा नामजद	द्वारा नामित
1 सदस्य	महाविद्यालय के प्राचार्य	पूर्व कर्मचारी

कार्यकालः 2 वर्ष यूजीसी द्वारा नामित के अतिरिक्त जिसका कार्यकाल पूरे 6 वर्ष का होगा। बैठकः वर्ष में न्यूनतम 2 बार

प्रकार्यः

संबंद्ध महाविद्यालय के उप–नियमों के प्रावधानों एवं राज्य सरकार तथा उपरोक्त महाविद्यालयों के शासी निकाय के नियमों के अधीन उनके पास निम्न के अधिकार होंगेः–

- शुल्क एवं महाविद्यालय के छात्रों द्वारा देय प्रभार को निर्धारित करना–जो कि वित्त समिति की अनुशंसा पर आधारित होगा।
- अकादमिक परिषद् की अनुशंसा के आधार पर शोध वृत्तियाँ, अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, मेडल, इनाम एवं प्रमाणपत्र स्थापित करना।
- डिग्री एवं/अथवा डिप्लोमा स्तर तक के अध्ययन पाठ्यक्रमों की स्थापना को अनुशंसित करना
- जिन लक्ष्यों के लिए महाविद्यालय स्वशासी घोषित किया गया है, उस संदर्भ में ऐसे ही प्रकार्य निष्पादित करना तथा समितियाँ स्थापित करना जो उपयुक्त विकास के लिए तथा उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यथा आवश्यक हैं।

***शासी निकाय/शासी बोर्ड/प्रबंधन बोर्ड/कार्यकारी समिति/प्रबंधन समिति, जैसा भी उसका नाम रखा जाए।**

किसी भी स्वशासी महाविद्यालय में अकादमिक परिषद का अनुशंसित गठन एवं उसके प्रकार्य

I. गठनः

1. प्राचार्य (अध्यक्ष)
2. महाविद्यालय के समस्त विभागों के अध्यक्ष
3. महाविद्यालय में सेवा में वरिष्ठता के आधार पर कॉलेज के चार शिक्षक जो विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते हों उन्हें आवर्ती (Rotation) आधार पर रखना
4. शासी निकाय द्वारा नामित चार विशेषज्ञ जो महाविद्यालय से बाहर से हो तथा इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले हों–उद्योग, वाणिज्य, विधि, शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि।
5. विश्वविद्यालय द्वारा नामित तीन व्यक्ति
6. प्राचार्य (सदस्य सचिव) द्वारा नामित एक संकाय सदस्य

II. सदस्यों का कार्यकालः

नामित सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा।

III. बैठकें:

अकादमिक परिषद की बैठक का आयोजन प्राचार्य द्वारा वर्ष में न्यूनतम एक बार किया जाएगा।

IV. प्रकार्य

संदर्भित प्रकार्यों की सामान्यता से, बिना किसी पूर्वाग्रह के, अकादमिक परिषद के पास निम्न के अधिकार होंगेः–

(अ) अध्ययन बोर्ड द्वारा किए गए किसी भी संशोधन के बिना, ऐसे प्रस्तावों की जाँच पड़ताल करना एवं उन्हें स्वीकार करना, जो अध्ययन पाठ्यक्रमों, अकादमिक विनियमों, पाठ्यचर्याओं, पाठ्यविवरणों एवं उनसे संबंद्ध संशोधनों के बारे में हैं, अनुदेशात्मक एवं आकलन प्रबंध, विधियाँ जो उनसे सापेक्ष हैं आदि, बशर्ते जहाँ अकादमिक परिषद किसी प्रस्ताव पर मतभेद रखती है, वहाँ पर उसे अधिकार होगा कि पुनः विचार करने के लिए उस प्रस्ताव को अध्ययन बोर्ड को वापस भेज दे–तथा ऐसा करने के सभी कारण भी दे।

(ब) महाविद्यालय में अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों के दाखिले से संबंद्ध विनियम बनाना।

(स) खेलकूद, पाठ्येत्तर–गतिविधियों के लिए विनियम बनाना तथा खेल के मैदानों एवं छात्रावासों का सही रख–रखाव एवं क्रियान्वयन।

(ड.) अध्ययन के नवीन पाठ्यक्रमों की स्थापना के लिए शासी निकाय को अनुशंसा भेजना।
(च) शोध वृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्येतावृत्तियों, पुरस्कारों एवं मेडल की स्थापना हेतु शासी निकाय के पास अनुशंसा भेजना तथा उन्हें प्रदान करने से संबंद्ध विनियम बनाना
(छ) शासी निकाय द्वारा निर्मित अकादमिक मामलों पर उन्हें सुझाव देना।
(ज) ऐसे अन्य किन्हीं प्रकार्यों को निष्पादित करना जो शासी निकाय द्वारा निर्दिष्ट किए जा रहे हैं।

किसी भी स्वशासी महाविद्यालय में अनुशंसित अध्ययन बोर्ड एवं उसके प्रकार्य

I. गठनः

1. संबंद्ध विभाग के अध्यक्ष (अध्यक्ष)
2. प्रत्येक विशेषता की संपूर्ण संकाय
3. महाविद्यालय से बाहर के ऐसे दो विषय विशेषज्ञ जिन्हें अकादमिक परिषद द्वारा नामित किया जाये
4. महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अनुशंसित 6 विशेषज्ञों की चयनित सूची में से एक विशेषज्ञ जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जाना है।
5. स्थापना से संबंद्ध उद्योग/निगमित क्षेत्र/समरूप क्षेत्र से एक प्रतिनिधि
6. प्राचार्य द्वारा नामित किए जाने वाला एक भूतपूर्व स्नातकोत्तर छात्र/महाविद्यालय के प्राचार्य की सहमति से अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष सहयोजन कर सकते हैं:
   (अ) जब भी अध्ययन के विशेष विषय सूत्रबद्ध किए जाएँ तो, महाविद्यालय के बाहर के विशेषज्ञ हों
   (ब) उसी संकाय के अन्य स्टाफ के सदस्य

II. अवधि

नामित सदस्यों की कार्य अवधि दो वर्ष की होगी।

III. बैठक

विभिन्न विभागों के लिए अध्ययन बोर्ड की बैठकों की समय सारणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा तैयार की जाएगी। बैठक यथा आवश्यक निर्धारित की जा सकती है परंतु वर्ष में न्यूनतम एक बार होनी चाहिए।

IV. प्रकार्य

महाविद्यालय में विद्यमान किसी विभाग का अध्ययन बोर्डः

(अ) अकादमिक परिषद विचार विमर्श एवं स्वीकृति हेतु, महाविद्यालय के लक्ष्यों, पणधारियों के हित एवं राष्ट्रीय आवश्यकता को दृष्टिगत करते हुए विभिन्न विषयों के पाठ्य विवरण तैयार करेगा;

(ब) नवोन्मेषी अध्यापन एवं आकलन तकनीकों के लिए प्रविधियाँ प्रस्तावित करेगा;

(स) परीक्षकों की नियुक्ति के लिए चयनित सूची में से नामों को अकादमिक परिषद को प्रस्तावित करेगा;

(द) विभाग/महाविद्यालय में शोध, अध्यापन, विस्तारण एवं अन्य अकादमिक गतिविधियों का समन्वय करेगा;

अनुलग्नक– VI

किसी स्वशासी महाविद्यालय में वित्त समिति के अनुशंसित गठन एवं प्रकार्य

I. गठनः

(अ) प्राचार्य (अध्यक्ष)

(ब) महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए एक व्यक्ति को नामित करना।

(स) दो वर्ष की अवधि के लिए चक्रीय अनुक्रम में, महाविद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक को प्राचार्य द्वारा नामित करना। वित्त समिति, शासी निकाय के प्रति एक सलाहकार समिति के रूप में होगी तथा वर्ष में न्यूनतम दो बार बैठक करेगी तथा निम्न पर विचार करेगीः–

(अ) यूजीसी से प्राप्त अनुदान/प्राप्त की जाने वाली अनुदान राशि से संबंद्ध बजट अनुमान एवं शुल्क से प्राप्त आय इत्यादि जिसका संग्रहण स्वायत्तता परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए प्राप्त किया गया है/प्राप्त करना शेष है;

(ब) उपरोक्त लेखापरीक्षित खाते।

स्थानः
तिथिः

हस्ताक्षरः

नामः

पदः (प्राचार्य)

अनुलग्नक– VII

महाविद्यालय (स्वशासी) की प्रगति रिपोर्ट

(जिसे दोहरे रूप में महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

अकादमिक वर्ष.....की प्रगति रिपोर्ट

1. यूजीसी द्वारा सर्वप्रथम स्वायत्तता प्रदान करने की तिथिः
2. जिस वर्ष में वाह्य आकलन किया गया था
   (अ) प्रबंधन सभा द्वारा
   (ब) विश्वविद्यालय द्वारा

3. सर्वेक्षण वाले वर्ष के दौरान महाविद्यालय द्वारा किया गया वार्षिक आकलन

4. वर्ष के दौरान संशोधित/निरस्त अथ्वा प्रारंभ किए गए पाठ्यक्रमों की संख्या (पाठ्यक्रम का नाम बताएँ):

5. यदि वर्ष में वाह्य आकलन किया गया है तो रिपोर्ट संलग्न करें:

6. व्यय की प्रगतिः

मद	गत वर्ष अव्ययित अनुदान शेष	वर्ष के दौरान यूजीसी से प्राप्त अनुदान	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	अव्ययित शेष	टिप्पणी
अतिथि संकाय के प्रति शिक्षकों को अभिमुख करने के प्रयास करना पाठ्यक्रमों को पुनः रूपांकित करना कार्यशालाएँ / संगोष्ठियाँ अन्य कार्यालय / अध्यापन प्रयोगशाला उपकरण, फर्नीचर शासी एवं अन्य निकायों की पुस्तकालय बैठक					

स्थानः

तिथिः

हस्ताक्षरः

नामः

पदः

(प्राचार्य)

अनुलग्नक– VIII

उपयोगिता प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि रु0 ..... (रुपये .....) जो यूजीसी के पत्र मि0सं0 ..... दिनांक ..... के अंतर्गत स्वीकृत रु0 ..... (रुपये..... .....) की राशि जो .....योजना हेतु प्रदान की गई थी, उस राशि में से निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आयोग द्वारा दी गई शर्तों एवं निबंधन अनुसार उपयोग कर ली गई है।

यदि किसी जाँच पड़ताल अथ्वा लेखा परीक्षण आपत्ति के परिणाम स्वरूप आगे चलकर कुछ अनियमितताएँ दृष्टिगत हो जाती हैं तो आपत्तिग्रस्त राशि की प्रतिपूर्ति, समाकलन अथवा इसे नियमित करने की कार्रवाई की जाएगी।

हस्ताक्षरः

प्राचार्य सील सहित

हस्ताक्षरः

महाविद्यालय के सांविधिक लेखा परीक्षक सील सहित

चार्टर्ड एकाउटेन्ट सील सहित

पंजीकरण सं0

अनुलग्नक– **IX**

यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

निष्पादन एवं अकादमिक उपलब्धियों का जो आकलन ..... को ..... स्वशासी स्तर प्रदान करने हेतु

जो ..... से सहसंबंद्ध है

दौरे की तिथिः

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफ़र मार्ग
नई दिल्ली–110002

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफ़र मार्ग
नई दिल्ली–110002
अद्यतन स्वशासी स्तर प्रदान करने के लिए यूजीसी समिति की रिपोर्ट

महाविद्यालय का नाम/पता/पिन/फैक्स	दौरे की तिथि	स्थल	स्वशासी स्तर की नवीन/विस्तारण स्थिति		

(सहसंबंद्ध विश्वविद्यालय का नाम) जिसके साथ महाविद्यालय सहसंबंद्ध है	:	

उपस्थित विशेषज्ञ विजिटिंग समिति सदस्यों एवं यूजीसी अधिकारी के नामः

1.	प्राचार्य का नाम	:			
2 अ)	जिस वर्ष में महाविद्यालय स्थापित किया गया है	:			
ब)	जिस तिथि को महाविद्यालय यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) एवं 12 (बी) के अंतर्गत पात्र घोषित किया गया (इस विषय में यूजीसी के पत्र की प्रति संलग्न करें)	:			
3.	महाविद्यालय ने आवेदन किया है अ) नवीन स्वशासी स्तर के लिए ब) स्वशासी स्तर के विस्तारण के लिए प्रभावी तौर से वर्ष..... स)				
4.	11वीं योजना दिशानिर्देशों के अनुसार महाविद्यालय किस श्रेणी में आता है				
अ)	पुरुष	:			
ब)	महिला	:			
स)	सह–शिक्षा	:			
द)	स्नातक पूर्व/स्नातकोत्तर/दोनों/एकल संकाय/बहु संकाय	:			
ध)	स्व–वित्त पोषित (कितने वर्ष से सक्रिय तथा 10 वर्ष तक का साक्ष्य जो कि 11वीं योजना दिशानिर्देशों के विनियम के अनुसार है)	:			
5.	महाविद्यालय की श्रेणी				
अ)	कला/विज्ञान/वाणिज्य	:			

ब)	इंजीनियरिंग	:	
स)	शिक्षा	:	
द)	अन्य (विधि, शारीरिक शिक्षा आदि)	:	
6.	उचित आवृत्त क्षेत्र सहित (वर्ग फीट) उपलब्ध अवसंरचना सुविधाएँ	:	
	अ) कक्षाएँ	:	
	ब) प्रयोगशालाएँ	:	
	स) पुस्तकालय	:	
	द) छात्रावास (महिला)	:	
	पुरुष)		
	ध) अन्य जैसे किः प्रशासनिक खण्ड/प्राचार्य कक्ष/स्टाफ कक्ष/मनोरंजन कक्ष/कैन्टीन/खेल–कूद सुविधाएँ (अंतरंग)/सभागार इत्यादि	:	
	त)		
	न) कुल (भवन) आवृत्त क्षेत्र (वर्ग फीट में)	:	
	म) महाविद्यालय द्वारा उसके अपने नाम में अधिकृत कुल भूमि क्षेत्र	:	

अन्य विवरण अनुलग्नक में उपलब्ध हैं

7. <u>अकादमिक गतिविधियाँ</u> (यथा आवश्यक विस्तृत विवरण देने के लिए अनुलग्नक संलग्न किया जाए)

संकाय के नियुक्त स्टाफ के विषय में विशिष्ट सूचना प्राप्त करनाः

नियमित स्टाफ	तदर्थ स्टाफ	अनुबंधात्मक अवकाश	अतिथि संकाय	विजिटिंग संकाय	रिक्त पदों की संख्या

अध्यापन स्टाफ

स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या				कार्यरत				रिक्त स्थान			
प्रो0	रीडर	लेक्चरर	कुल	प्रो0	रीडर	लेक्चरर	कुल	प्रो0	रीडर	लेक्चरर	कुल

गैर अध्यापन स्टाफ

स्वीकृत स्टाफ की संख्या	कार्यरत	रिक्त स्थितियाँ

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	अध्यापन स्टाफ कर्मचारियों की कुल संख्या				कुल शोध प्रकाशन/योजनाएँ पिछले 5 वर्ष की		पिछले 5 वर्ष में कुल सम्मेलनों/गोष्ठियों/विचार गोष्ठियों की संख्या		एन.ए.ए.सी.
		पीएच. डी.	एम. फिल.	अन्य	कुल	शोध प्रकाशन	योजनाएँ	आयोजित	उपस्थिति युक्त	
1.								राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय	राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय	
2.	स्व–वित्त पोषित पाठ्यक्रम									

i. अध्यापन स्टाफ की सूची
ii. गैर–शिक्षण स्टाफ की सूची
iii. शोध प्रकाशनों की सूची
iv. शोध योजनाओं की सूची
v. सम्मेलन/गोष्ठियाँ/विचार गोष्ठियाँ

8. महाविद्यालय द्वारा अंगीकृत की गई अध्यापन की वर्तमान प्रणाली के स्वरूप के साथ क्या समिति संतुष्ट है

9. गत 5 वर्षों में छात्रों द्वारा प्राप्त अकादमिक उपलब्धताओं का विवरण जैसे कि छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्राप्त किए गए विभिन्न शीर्ष स्थान

वर्ष/समूह	क्र0सं0	पाठ्यक्रम	परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या	सफल छात्रों की संख्या	विशिष्ट सफलता	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	सफल की प्रतिशतता

सफल छात्रों की औसत प्रतिशतता लगभग.....

<u>विश्वविद्यालय में शीर्षस्थ प्राप्तकर्ता:</u>

अन्य

छात्रों की अन्य उपलब्धियाँ ..... पर विद्यमान हैं
अध्यापकों की उपलब्धियाँ ..... पर विद्यमान हैं

10. **महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे पाठ्यक्रमों के प्रारूप से क्या समिति संतुष्ट है?**

प्रस्तुत किए जा रहे पाठ्यक्रमः

क्र0सं0	पाठ्यक्रम	अवधि	विश्वविद्यालय / यूजीसी / ए आईसीटीई द्वारा अनुमोदन का वर्ष (अनुमोदन का संदर्भ एवं तिथि)	वार्षिक स्वीकृत प्रवेश प्राप्त	एनबीए द्वारा प्रत्यायित

11. **महाविद्यालय को स्वशासी स्तर प्रदान करने के पक्ष में क्या सभी अध्यापक हैं?**

12. **अन्य कोई सूचना**

13. **परीक्षाओं में सुधार**

(अ) महाविद्यालय द्वारा वर्तमान में जिस विधि द्वारा परीक्षा संचालित की जा रही है, क्या समिति उससे संतुष्ट है? समिति यदि कोई आकलन की विशिष्ट विधि प्रस्तावित करना चाहती है तो उसको बताएँ।

परीक्षा की वर्तमान प्रणाली

(ब) छात्रों / शिक्षण स्टाफ / गैर–षिक्षण स्टाफ के साथ पारस्परिक क्रिया, कार्यान्वित की गई ऐसी पारस्परिक क्रिया के बारे में विस्तार से अपना मत प्रस्तुत करें।

14. **प्रशासनिक गतिविधियाँ (केवल स्वशासी महाविद्यालय के पुनरीक्षण हेतु)**

क्या आवधिक रूप से महाविद्यालय द्वारा शासी निकाय, अकादमिक परिषद, अध्ययन बोर्ड एवं वित्त समिति का संचालन किया जा रहा अथवा नहीं? उपरोक्त निकायों द्वारा गत कुछ समय पूर्व लिए गए निर्णयों के विषय में अपना विशिष्ट मत स्पष्ट करें।
महाविद्यालय में विद्यमान विभिन्न निकायों का विवरण संलग्न है.....के रूप में

15. **स्व–वित्त पोषित पाठ्यक्रमों के प्रस्तुत करने के विषय में आपके मत**

16. **लागू शुल्क संरचना के विषय में मत**

शुल्क संरचना

महाविद्यालय की प्रवेश एवं शुल्क विनियामक सतिति द्वारा, वर्ष ..... के लिए स्वीकृत शुल्क निम्नवत हैं:

पाठ्यक्रम एवं कक्षाएँ	जमानती जमा (प्रतिपूर्ति–पाठ्यक्रम के अंत में) रु0	अनुशिक्षण शुल्क रु0	विशेष शुल्क रु0	विकास शुल्क रु0	कुल राशि रु0

विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार यूजीसी द्वारा निर्धारित शुल्क महाविद्यालय द्वारा संग्रहीत कर रही है।

17. एन.बी.ए. श्रेणी प्रदान की गई है–यदि नहीं तो आपके क्या मत हैं:

18. <u>यूजीसी निधि की वित्तीय उपयोगिता: विशिष्ट मत प्रकट करें:–</u>

(पृथक से बताएँ कि गत पाँच वर्षों में महाविद्यालय द्वारा स्वायत्तता अनुदान/सामान्य विकास अनुदान प्राप्त किया गया है–उसका पृथक विवरण प्रदान करें।)

क्र0सं0	योजना	यूजीसी द्वारा आवंटित राशि	स्वीकृत अनुदान राशि	उपयोग की गई राशि
1.	10वीं योजना अवधि में सामान्य विकास सहायता			
2.	11वीं योजना अवधि में सामान्य विकास सहायता			
3.	11वीं योजना अवधि में 14 विलयित योजनाएँ			
4.	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई)			
5.	जयन्ती अनुदान			
6.	स्वशासी अनुदान वर्ष–वार: (i) (ii) (iii) (iv) (v)			
7.	अन्य कोई योजना			

महाविद्यालय के 10वीं एवं 11वीं योजना अवधि के लेखे पहले ही बेबाक हो चुके हैं। यूजीसी के पत्रों की प्रतियाँ संलग्नक में लगी हैं।

विभिन्न स्त्रोंतों से प्राप्त निधि की आय एवं व्यय के विवरण संलग्न है।

समिति द्वारा किए गए सर्वेक्षण एवं प्रस्तुत किए गए सुझाव

सर्वेक्षण

महाविद्यालय की पृष्ठभूमि

विशिष्टताएँ / सर्वेक्षण

सुझाव

कमियाँ / सुझाव

समिति की अनुशंसाएँ:

स्थानः

तिथिः

विजिटिंग समिति के विशेषज्ञों एवं सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर

अनुलग्नक–X

यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

.....निम्न को स्वशासी स्तर के विस्तारण हेतु उसके निष्पादन एवं अकादमिक उपलब्धियों का आकलन

निम्न से सहसंबंद्ध

दौरे की तिथि

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफ़र मार्ग
नई दिल्ली–110002

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफ़र मार्ग
नई दिल्ली–110002

..... को स्वशासी स्तर के विस्तारण हेतु यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

महाविद्यालय में दौरे की तिथिः

महाविद्यालय का नाम एवं पता, पिन कोड एवं फैक्स	**दौरे की तिथि**	**स्थान**	**स्वशासी स्तर प्रदान करने/विस्तारण हेतु पुनरीक्षण**
			स्वशासी स्तर का विस्तारण
संबंद्ध महाविद्यालय जिस सह संबंद्ध विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है।			

उपस्थित विशेषज्ञ विजिटिंग समिति के सदस्यों एवं यूजीसी अधिकारियों के नाम

महाविद्यालय का विस्तृत विवरण				
1.	प्राचार्य का नाम		:	
2.	अ.	जिस वर्ष में महाविद्यालय प्रारंभ किया गया	:	
	ब.	जिस तिथि को महाविद्यालय को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) एवं 12 (बी) के अंतर्गत पात्र घोषित किया गया (इस विषय में यूजीसी के पत्र की एक प्रति संलग्न करें)	:	
3.	महाविद्यालय ने आवेदन किया			
	अ.	नवीन स्वशासी स्तर के लिए	:	
	ब.	वर्ष ..... से प्रभावी स्वायत्तता का विस्तारण	:	
4.	11वीं योजना दिशानिर्देशों के अनुसार महाविद्यालय किस श्रेणी के अंतर्गत आवृत्त है?		:	
	अ.	पुरूष	:	
	ब.	महिला		
	स.	सह–शिक्षा		
	ड़.	स्नातकपूर्व / स्नातकोत्तर / दोनों / एकल संकाय बहु संकाय (कृपया संकेत दें)		
	च.	स्व–वित्त पोषित (जितने वर्ष से स्थापित हैं साक्ष्य सजित, 11वीं योजना दिशानिर्देशों के अनुसार 10 वर्ष से विद्यमान)		
5.	महाविद्यालय की रूपरेखा			
	अ.	कला / विज्ञान / वाणिज्य		
	ब.	इंजीनियरिंग		
	स.	शिक्षा		
	ड़.	अन्य विधि, शारीरिक शिक्षा इत्यादि		
6.	उपलब्ध अवसंरचना सुविधाओं व उपयुक्त क्षेत्रफल–वर्गफीट में			
	अ.	कक्षाएँ		
	ब.	प्रयोगशालाएँ		
	स.	पुस्तकालय		
	ड़.	छात्रावास (महिलाएँ)		
		(पुरुष)		

	च.	अन्य, जैसे प्रशासनिक खण्ड/प्राचार्य कार्यालय/स्टाफ कक्ष/मनोरंजन कक्ष/कैन्टीन/खेल–कूल सुविधाएँ (अंतरंग)/सभा भवन आदि।		
	छ.	(भवनों का) कुल आवृत्त क्षेत्र–वर्ग फीट में		
	ज.	महाविद्यालय के नाम पर कुल भूमि क्षेत्र कितनाहै?		

अन्य विवरण अनुलग्नक में उपलब्ध हैं।

7. अकादमिक गतिविधियाँ (यथा आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने के लिए अनुलग्नक संलग्न किया जाए।)

संकाय नियुक्तियों के विषय में विशिष्ट सूचना प्राप्त की जाएः

नियमित स्टाफ	तदर्थ स्टाफ	अनुबंधात्मक स्टाफ	अतिथि संकाय	विजिटिंग संकाय	रिक्त पदों की संख्या

अध्यापन स्टाफ

स्वीकृत स्टाफ				कार्यरत स्टाफ				रिक्त पदों की स्थिति			
प्रो0	रीडर	लेक्चरर	कुल	प्रो0	रीडर	लेक्चरर	कुल	प्रो0	रीडर	लेक्चरर	कुल

गैर– ध्यापन स्टाफ

स्वीकृत स्टाफ	कार्यरत	रिक्त स्थितियाँ

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	अध्यापन स्टाफ कर्मचारियों की कुल संख्या				कुल शोध प्रकाशन/योजनाएँ पिछले 5 वर्ष की		पिछले 5 वर्ष में कुल सम्मेलनों/गोष्ठियों/विचार गोष्ठियों की संख्या		एन.ए.ए.सी.
		पीएच. डी.	एम. फिल.	अन्य	कुल	शोध प्रकाशन	योजनाएँ	आयोजित	उपस्थिति युक्त	
1.								राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय	राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय	
2.	स्व–वित्त पोषित पाठ्यक्रम									

अकादमिक गतिविधियों का विवरणः

(i) शिक्षण स्टाफ (चाहे स्थायी/अस्थायी/तदर्थ) की वेतन, योग्यता एवं पद संबंधी सूची
(ii) गैर–शिक्षण स्टाफ की वेतन, योग्यता एवं पद संबंधी सूची संलग्न है
(iii) संकाय सदस्यों द्वारा किए गए शोध प्रकाशनों की सूची संलग्न है
(iv) गत पाँच वर्षों में महाविद्यालय के संकाय सदस्यों द्वारा निष्पादित शोध परियोजनाओं की सूची संलग्न है
(v) महाविद्यालय द्वारा आयोजित संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं की सूची संलग्न है
(vi) संकाय सदस्यों द्वारा जिन संगोष्ठियों/विचार गोष्ठी में भाग लिया गया उनकी सूची संलग्न है

8. महाविद्यालय द्वारा अपनायी गई अध्यापन प्रणाली की वर्तमान विधि से क्या समिति संतुष्ट है, हाँ/नहीं (यदि कोई त्रुटियाँ पाई गई है तो विस्तार से विशिष्ट रूप में अपना मत प्रस्तुत करें)

9. गत पाँच वर्ष में छात्रों की अकादमिक उपलब्धियों का विवरण जैसे कि विश्वविद्यालय परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए विभिन्न वरीय स्थान

वर्ष/समूह	**क्र0सं0**	**पाठ्यक्रम**	**परीक्षा में बैठे छात्र**	**सफल छात्र**	**उपाधि**	**प्रथम**	**द्वितीय**	**तृतीय**	**सफल वालों की प्रतिशतता**

छात्रों के सफल होने की प्रतिशतता है लगभग .....

<u>विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थानः</u>

अन्य

छात्रों की अन्य उपलब्धियाँ प्रस्तुत है ..... पर .....
शिक्षकों की उपलब्धियाँ प्रस्तुत है ..... पर .....

10. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कराए जा रहे पाठ्यक्रमों के प्रति क्या समिति संतुष्ट थी? हाँ/नहीं (किसी भी पाठ्यक्रम को प्रस्तुत/आहरित करने के विषय में यथा स्थिति अपना विशिष्ट मत प्रदान करें।)

11. महाविद्यालय को स्वशासी स्तर प्रदान करने के विषय में क्या सभी शिक्षक उसके पक्ष में हैं। हाँ/नहीं (विस्तार से अपने तर्क प्रस्तुत करें कि क्या समिति ने पृथक रूप से शिक्षकों के साथ पारस्परिक क्रिया की ताकि उनके दृष्टिकोण–पक्ष एवं विपक्ष में–यदि हैं तो उन्हें सुनिश्चित किया जा सके)

12. कोई भी ऐसी अन्य सूचना जो समिति के अनुसार, इस महाविद्यालय को स्वायत्तता स्वीकार करने अथवा इस महाविद्यालय को स्वशासी स्तर की निरंतरता का निर्णय लेने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

महाविद्यालय की पृष्ठभूमि

लक्ष्य

दूरदृष्टि

महाविद्यालय परिसर में सुविधाएँ

स्थापन एवं प्रशिक्षण

शारीरिक शिक्षा

खेल–कूद सुविधाएँ

1. **उपलब्ध खेल मैदान**
2. **शारीरिक क्षमता संबंधी उपलब्ध उपकरण**

सभागार–

इंटरनेट सुविधाएँ–

चिकित्सा सुविधाएँ–

शुल्क संरचना

13. परीक्षा में सुधार

अ. महाविद्यालय द्वारा जो परीक्षा की विधि संचालित की जा रही है, क्या समिति उससे संतुष्ट है? आकलन की कोई एक ऐसी विधि जिसे समिति प्रस्तावित करना चाहेगी, उसका संकेत दें।

14. छात्रों/गैर–शिक्षण स्टाफ के साथ अन्योन्य क्रिया इस प्रकार से की गई अन्योन्य क्रिया के प्रति विशिष्ट मत विस्तार से प्रकट करें।

15. प्रशासनिक गतिविधियाँ (स्वशासी स्तर वाले महाविद्यालय के पुनरीक्षण हेतु)

क्या, शासी निकाय, अकादमिक परिषद, अध्ययन बोर्ड एवं वित्त समिति का संचालन महाविद्यालय द्वारा आवधिक रूप से किया जा रहा है? गत कुछ समय में उपरोक्त निकायों द्वारा पारित किए गए कुछ निर्णयों पर विस्तार से विशिष्टतम मत प्रस्तुत करें।

16. स्व–वित्त पोषित प्रस्तुत किए जा रहे पाठ्यक्रम

17. लागू शुल्क संरचना से संबंद्ध मत

18. एन.ए.ए.सी. प्रदत्त श्रेणी, यदि नहीं तो उसके बारे में मतः

19. **यूजीसी निधि का वित्तीय उपयोगः** विशिष्ट मत पृथक से प्रस्तुत किए जाएँ (स्वायत्तता अनुदान/सामान्य विकास अनुदान यदि महाविद्यालय द्वारा गत पाँच वर्ष में प्राप्त किया गया है)

क्र0सं0	योजना का नाम	आवंटित अनुदान	जारी किया गया अनुदान	उपयोग किया गया अनुदान
अ)	**10वीं योजना विकास सहायता**			
	(i) स्नातक पूर्व विकास सहायता			
	(ii) स्नातकोत्तर विकास सहायता			
	(iii) महिला छात्रावास			
	कुल			
ब)	**11वीं योजना विकास सहायता**			
	(i) स्नातक पूर्व विकास सहायता			
	(ii) स्नातकोत्तर विकास सहायता			
	(iii) 14 विलयित योजनाएँ			
	(iv) आवश्यकताओं के अनुसार विशेष सहायता			
	कुल			
स)	**12वीं योजना अवधि में प्राप्त अनुदान**			
द)	**स्वायत्तता अनुदान**			
	2007–08			

	2008–09			
	2009–10			
	2010–11			
	2011–12			
	2012–13			
	2013–14			
	कुल			

महाविद्यालय के 10वीं एवं 11वीं योजना अवधि के लेखे पहले ही बेबाक हो चुके हैं। यूजीसी के पत्रों की प्रतियाँ संलग्नक में लगी हैं।

विभिन्न स्त्रोंतों से प्राप्त निधि की आय एवं व्यय के विवरण संलग्न है।

समिति द्वारा किए गए सर्वेक्षण एवं प्रस्तुत किए गए सुझाव

सर्वेक्षण

महाविद्यालय की पृष्ठभूमि

विशिष्टताएँ/सर्वेक्षण

सुझाव

कमियाँ/सुझाव

समिति की अनुशंसाएँ:

स्थानः

तिथिः

विजिटिंग समिति के विशेषज्ञों एवं सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर